

पञ्चाल - चित्तौड़ 69/2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

32-21

बन्नावती पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हम्बर बाद तरतीब तकमील दफ्तर हो।



पञ्चाल अधिकाारी एवं पदेन राजरय अपील अधिकारी सीकर